पंचायत निगरानी संख्या : 78 / 2025

उनवान : प्रभुराम धवल बनाम ग्राम पंचायत जवाई बांध एरनपुरा रोड़ प.स. सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 78 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 128

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
प्रभुराम धवल पुत्र श्री लादुराम जी धवल जाति सरगरा निवासी मीणो का वास, जवाई बांध एरनपुरा तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज. मोबाईल नम्बर 9772572062	बनाम	ग्राम पंचायत, जवाई बांध एरनपुरा रोड़, पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ जवाई बांध के आदेश दिनांक 09.12.2016 मिसल संख्या 297 / 2016–17 दायर दिनांक 05.10.2016 के तहत जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 31.03.2017 को निरस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शरीफ खान।

–:निर्णयः–

दिनांकः 27.02.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ जवाई बांध के आदेश दिनांक 09.12.2016 मिसल संख्या 297 / 2016–17 दायर दिनांक 05.10.2016 के तहत जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 31.03.2017 को निरस्त कराने बाबत्** पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.10.2016 को प्रार्थी के पुत्र विष्णु पुत्र प्रभुराम जाति सरगरा निवासी जवाईबांध ने ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र कब्जाशुदा आवासीय मकान का पट्टा बनाने बाबत पेश किया। जिस पर सर्व सम्मति से प्रार्थना पत्र की जांच कर मिसल कायम किये जाने का निर्णय लिया गया व उपरोक्त मकान के भूमि का नक्शा सचिव द्वारा बनाकर आगामी बैठक में पेश किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया जिस पर उक्त मकान की भूमि का नक्शा सलंग्न कर मिसल कायम कर उपरोक्त मकान का मौका निरीक्षण राज. पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट पेश की जिस पर बाद जांच पंचायत की बैठक में वार्ड पंचों ने प्रार्थी के हक में मकान का पट्टा दिये जाने की सिफारिश की गई। जिस पर प्रार्थी के नाम से पट्टा बनाने के लिए प्रपत्र 22 नियम 148 का भरकर माह एक म्याद का आम आपत्ति आमंत्रित पत्र आम चौराहे पर चस्पा किया गया, जिस पर आपत्ति पेश नहीं होने पर प्रार्थी के अपने मकान के पुश्तैनी कब्जे की पुष्टि बाबत दो गवाह पेश किये, जिस पर दिनांक 09.12.2016 को पंचायत बैठक में पत्रावली नियम 157 (1) (क) पुराने मकान का विनियमितिकरण के तहत पट्टा जारी करने के लिए अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत मिसल में सदन द्वारा मकान के भूमि का नक्शा बना हुआ है, सदन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 78 / 2025

उनवान : प्रभुराम धवल बनाम ग्राम पंचायत जवाई बांध एरनपुरा रोड़ प.स. सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

द्वारा उपरोक्त मकान का पट्‌टा बनाने के लिए एक माह एक म्याद का आम आपत्ति पत्र नोटिस सलंग्न पाया गया जांच करने पर अन्दर अवधि में किसी की कोई आपत्ति पेश नहीं पाई गई, प्रार्थी द्वारा पुश्तेनी कब्जे की पुष्टि बाबत दो गवाह के बयानों से प्रार्थी का मकान पुश्तैनी साबित किये गये गवाहों के बयानों से प्रार्थी का मकान पुश्तैनी साबित होता है। अतः राज.पंचायती राज नियम 1996 के नियम 1996 के 157 (1) (क) के तहत पुराने मकान का विनियमितिकरण कर 200/– अक्षरे दो सौ रुपये लिये जाकर विष्णु पुत्र प्रभुराम जाति सरगरा निवासी जवाईबांध के नाम से कुल 1400 वर्गफीट का पट्‌टा बनाकर दिये जाने का फैसला सर्वसम्मति से सरेआम सुनवाया बाद फैसलशुदा मिसल दाखिल दफ्तर हो। उक्त फैसले की पालना से प्रार्थी द्वारा 200/– अक्षरे दो सौ रुपये जरिये रसीद संख्या 73/16.03.2017 के जमा कराने पर प्रार्थी के पुत्र विष्णु पुत्र प्रभुराम के नाम सरपंच ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ द्वारा पट्‌टा संख्या 29 दिनांक 31.03.2017 को जारी किया गया। इससे नाराज होकर प्रार्थी यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है:–

1. यह है कि उपरोक्त पट्‌टा गृहिता विष्णु प्रार्थी निगरानीकर्ता का पुत्र है तथा उसकी मृत्यु दिनांक 17.12.2022 को हार्टअटेक से हो गई है विष्णु लाऔलाद फौत हो चुका है। जिससे भी अब उक्त पट्‌टा खारिज एवं निरस्त करने योग्य है।
2. यह है कि उपरोक्त पट्‌टा संख्या 29 में निर्मित मकान की भूमि, प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने दिनांक 30.01.2017 को जरिए बेचान इकरारनामा जीवराज पुत्र गुलाबजी निवासी जवाईबांध तहसील सुमेरपुर से मोल किमतन रुपये 4,00000/– अक्षरे चार लाख रुपये में खरीद किया जिसका पूर्व पट्‌टा नम्बर 19 मिसल संख्या 41/62 तारीख 16.06.1962 का भूमि विक्रय विलेख श्री ग्राम पंचायत कोर्ट पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली राज. द्वारा जारी किया गया था जिससे भी उक्त पट्‌टा संख्या 29 निरस्त होने योग्य है।
3. यह है कि उपरोक्त पूर्व पट्‌टा संख्या 19 व नया पट्‌टा संख्या 29 जो नाप में लम्बा 50 फीट व चौड़ा 28 फीट कुल क्षेत्रफल 1400 वर्गफीट पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता को कार्यालय ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली ने क्रमांक ग्राम पंचायत संख्या 2017/392 दिनांक 29.03.2017 के जरिये नये मकान निर्माण की निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी जिस पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने अपने स्वयं के खर्चे से मकान निर्माण करवाया जिस मकान पर प्रार्थी व उसका परिवार आज भी बहैसियत मालिक के काबिज होने से व एक मात्र मालिक प्रार्थी होने से उक्त पट्‌टा संख्या 29 काबिल निरस्त करने योग्य है।
4. यह है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के पुत्र विष्णु की मृत्यु हो जाने के बाद प्रार्थी के साथ उसका पुत्र किशोर साथ रहने से उक्त मकान में बिजली कनेक्शन किशोर पुत्र प्रभुराम के नाम से है तथा पानी का कनेक्शन जनता जल योजना में प्रार्थी प्रभुराम पुत्र लादुराम जी जाति सरगरा निवासी जवाईबांध के नाम से होने से भी उक्त मकान का उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा बहैसियत मालिक के करने से उक्त पट्‌टा संख्या 29 काबिल निरस्त करने योग्य है।
5. यह है कि उपरोक्त पट्‌टा संख्या 29 जारी करते समय प्रार्थी के बयान शपथ पत्र या सहमति पत्र आदि नहीं लिये गये थे प्रार्थी की जानकारी के बिना प्रार्थी के पुत्र मृतक विष्णु ने प्रार्थी के खरीदशुदा प्लोट का पट्‌टा ग्राम पंचायत से अपने स्वयं के नाम से जारी करवा दिया। जिससे भी यह पट्‌टा निरस्त करने योग्य है।
6. यह है कि प्रार्थी का यह पट्‌टा पुश्तैनी नहीं है व प्रार्थी ने इसे स्वयं खरीद किया है व ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पुत्र के नाम पट्‌टा जारी कर दिया व प्रार्थी को पुछा तक नहीं न ही प्रार्थी को कोई जानकारी ही दी गई तथा यह पट्‌टा पुश्तैनी नहीं होने के कारण भी प्रार्थी के जीवित रहते प्रार्थी के पुत्र के नाम पट्‌टा जारी करना भी कानून के विरुद्ध

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 78/2025

उनवान : प्रभुराम धवल बनाम ग्राम पंचायत जवाई बांध एरनपुरा रोड़ प.स. सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

है व प्रार्थी को इस बारे में ग्राम पंचायत ने जब पट्टा प्रार्थी के पुत्र के नाम जारी किया गया तब प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई जिससे भी यह पट्टा काबिल निरस्त योग्य है।

7. यह है कि पट्टा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1)(क) के अन्तर्गत जारी करना लिखा गया है तथा जिस मकान/प्लोट का पट्टा जारी किया गया है व प्रार्थी ने स्वयं खरीद किया है व स्वयं ने रेलवे के सेवानिर्वति के पश्चात् प्राप्त राशि से उपरोक्त पट्टा पर निर्मित मकान का निर्माण करवाया। व निर्माण की स्वीकृति भी ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रार्थी के पक्ष में जारी की गई। जिसकी नकल साथ पेश है। व प्रार्थी के पुत्र ने अप्रार्थी से सांठ–गांठ कर अपराध में लिप्त होकर अप्रार्थी ने मृतक विष्णु (प्रार्थी का पुत्र) के पक्ष में अवैध रुप से पट्टा जारी किया गया। जो संबंधित कानून एवं नियमों के विपरित होने से व बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये जारी किया गया है। जो पट्टा काबिल निरस्त योग्य है।

8. यह है कि मौके पर मकान बना हुआ है जो भी प्रार्थी ने स्वंय के खर्चे से बनाया है जिसमें भी प्रार्थी के पुत्र विष्णु ने किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया था व प्रार्थी ने रेलवे से सेवा निवृति के पश्चात् प्राप्त राशि से उपरोक्त पट्टा पर निर्मित मकान का निर्माण करवाया। स्वंय के रुपये से ही प्रार्थी ने यह मकान खरीद किया है। तो यह प्रक्रिया के अंतर्गत ही नहीं आने से विधि विरुद्ध है ग्राम पंचायत ने विष्णु को फायदा पहूंचाने के लिए पट्टा जारी करने की तमाम प्रक्रिया ग्राम पंचायत में ही सम्पन्न की है न किसी ने मौका देखा है न नोटिस चस्पा ही किये गये है जिससे पट्टा विधि विरुद्ध जारी करने से प्रार्थी को न्याय से वंचित रखा गया, व प्रार्थी के पुत्र के नाम पट्टा जारी किया गया है। जो कानून व नियमों के विरुद्ध है। इससे प्रार्थी को संख्त प्रिज्युडिश हुआ है। न्याय से महरुम रखा गया तथा मनमाने ढंग से सरासर अवैध हरकत कर पट्टा जारी करने से उक्त पट्टा निरस्त करने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 31.03.2017 को निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी ग्राम पंचायत ऐरणपुरा से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत की ओर से कोई प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थिति नही देने से एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए इन्हें बहस के बिन्दु मानने तथा ज़ेर निगरानी संकल्प एवं पट्टा विलेख को अपास्त करने का निवेदन किया।

निगरानी याचिका में अंकित तथ्य, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा ग्राम पंचायत ऐरणपुरा द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

1. प्रार्थी द्वारा भूखण्ड को स्वयं का खरीदशुदा भूखण्ड बताते हुए इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पुत्र स्व. विष्णु के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 31.03.2017 की वैधता को चुनौति दी है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में एक बेचान इकरारनामा दिनांक 30.01.2017 भी प्रस्तुत किया है। यद्यपि उक्त बेचान इकरारनामा अपंजीबद्ध होने से इस न्यायालय में साक्ष्य के रुप में ग्राह्य नहीं है, किन्तु प्रार्थी द्वारा इसी भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ऐरणपुरा द्वारा प्रार्थी को प्रदत्त भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 29.03.2017 भी प्रस्तुत की है, जो काबिले गौर है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 31.03.2017 निष्पादित करने से दो दिन पूर्व इसी भूखण्ड पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 78 / 2025

उनवान : प्रभुराम धवल बनाम ग्राम पंचायत जवाई बांध एरनपुरा रोड़ प.स. सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

भवन निर्माण स्वीकृति प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की गई है, जो इस तथ्य की प्रथमदृष्टया तस्दीक करती है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर पट्टाधारी विष्णु कुमार के स्थान पर प्रार्थी का कब्जा था। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी जाहिर होता है कि ज़ैर निगरानी प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी के नाम से ही विद्युत एवं पेयजल कनेक्शन प्राप्त है।

2. प्रार्थी ने निगरानी याचिका के पद संख्या दो में यह अंकन किया है कि इसी भूखण्ड का पूर्व में एक पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा श्री जीवराज पुत्र गुलाजी के नाम से दिनांक 16.06.1962 को निष्पादित किया गया था जो पट्टा संख्या 19 मिसल संख्या 41 / 62 में जारी किया गया है तथा उन्हीं श्री जीवराज से प्रार्थी ने ज़रिए बेचान इकरारनामा दिनांक 30.01.2017 को उक्त भूखण्ड क्रय किया है। प्रार्थी द्वारा वक़्त सुनवाई पत्रावली में प्रस्तुत उक्त पट्टा विलेख संख्या 19 दिनांक 10.06.1962 की स्व.प्रमाणित प्रति तथा श्री भेराराम पुत्र सुरताराम मीणा एवं श्री लाल मोहम्मद पुत्र अकबर खां की मतदाता सूची से प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित होता है कि गत पट्टा विलेख संख्या 19 तथा जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 29 के माप तथा चतुर्दशी समान है अर्थात प्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य है कि प्रश्नगत ज़ैर निगरानी भूखण्ड का पूर्व में भूमि विक्रय विलेख निष्पादित हो चुका था तथा पट्टाशुदा भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा पुनः विक्रय कर अवैधानिक कार्यवाही कारित की गई है।

3. ग्राम पंचायत ऐरणपुरा द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड तथा मूल मिसल संख्या 297 / 2016–17 पट्टा बुक तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर के गहनतापूर्वक अवलोकन के बाद आलोच्य पट्टा विलेख के सम्बन्ध में निम्नलिखित वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियां दृष्टिगोचर होती हैः–

(i) राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 की पूर्वापेक्षा में नक्शा शुल्क एवं आवेदन शुल्क जमा कराना आज्ञापक है, किन्तु मूल मिसल पत्रावली में ऐसा कहीं अंकन अथवा दस्तावेज / रसीद इत्यादि सलंग्न नहीं है कि आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क व आवेदन शुल्क पंचायत राजकोष में जमा करवाए गए हो। साथ ही, प्रस्तावित भूखण्ड का नक्शा ग्राम सचिव द्वारा तैयार करना आज्ञापक है किन्तु मिसल में संलग्न नक्शें पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर ही अंकित नहीं है।

(ii) उक्त नियम 1996 के नियम 148 में प्रस्तावित भूखण्ड के स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों की समिति के गठन की प्रक्रिया उपबन्धित है। तीन पंचों की उक्त समिति का गठन ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में किया जाना आज्ञापक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में तीन पंचों का नामवार मनोनयन न तो ग्राम पंचायत ऐरणपुरा की किसी बैठक में किया गया है और न ही मिसल संख्या 297 / 2016–17 में ऐसा कोई नामवार आदेश ही सलंग्न उपलब्ध है। इससे यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि उक्त मिसल संख्या 297 में उपलब्ध स्थल निरीक्षण प्रपत्र पर जिन तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, उन्होंने किसी अधिकारिता व अधिकृत आदेश से उक्त भूखण्ड का स्थल निरीक्षण किया था?

(iii) यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि मूल मिसल में सलंग्न आदेशिकाओं (आज्ञाओं की सूची) तथा ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण में भी विरोधाभाषी स्पष्टतया दृष्टिगोचर है। उदाहरणार्थ, मिसल की आदेशिका दिनांक 22.11.2016 में यह अंकित है कि पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूखण्ड के सम्बन्ध में एक माह की मियाद अवधि का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जबकि बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 22.11.2016 में आपत्ति इश्तिहार एक माह पूर्व ही जारी होने तथा उक्त एक माह की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने का उक्त कार्यवाही विवरण में अंकन किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 78 / 2025

उनवान : प्रभुराम धवल बनाम ग्राम पंचायत जवाई बांध एरनपुरा रोड़ प.स. सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

मिसल में सलंग्न आदेशिकाओं तथा ग्राम पंचायत द्वारा की गई बैठकों के कार्यवाही विवरण में यह विरोधाभाष सम्पूर्ण कार्यवाही को सन्देहास्पद बनाने हेतु पर्याप्त आधार है।

(iv) मिसल में आवेदक के कब्जे के प्रमाण के रुप में दो गवाहों के कलमबद्ध किये गये बयान पत्र सलंग्न है जिन पर दिनांक 06.12.2016 अंकित है किन्तु मिसल में संलग्न आदेशिका दिनांक 05.12.2016 अर्थात एक दिन पूर्व ही दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाने का अंकन कर दिया गया है, उक्त दोनों गवाहों ने भी अपने बयानों में आवेदक श्री विष्णु के प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जे की अवधि का कहीं कोई अंकन नहीं किया है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आधारहीन व मनमाने ढंग से प्रार्थी का 50 वर्ष से अधिक का कब्जा मानते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत पुश्तैनी गृहों के विनियमितिकरण के रुप में प्रार्थी श्री विष्णु कुमार के पक्ष में ज़रिए संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.12.2016 के आलोच्य पट्‌टा विलेख संख्या 29 निष्पादित किया गया।

संक्षेप में, जैर निगरानी आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.12.2016 तथा इसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत ऐरणपुरा रोड़ द्वारा श्री विष्णु पुत्र प्रभुराम के पक्ष में निष्पादित पट्‌टा विलेख संख्या 29 दिनांक 31.03.2017 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित प्रक्रियात्मक प्रावधानों के प्रतिकुल होने से वैधानिक दृष्टि से संधारणीय नहीं है।

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ द्वारा मिसल संख्या 297 / 2016–17 के सन्दर्भ में पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.12.2016 तथा इसकी अनुपालना में श्री विष्णु पुत्र प्रभुराम के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 29 दिनांक 31.03.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत को पुनर्प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)